

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

(वित्त एवं लेखा शाखा)

पी.एफ. कमेटी की बैठक दिनांक 31.03.2021 को माननीय कुलपति महोदय के कक्ष में प्रातः 11.00 बजे आहुत की गयी थी जिसमें लिये गये निर्णयों का विवरण निम्न प्रकार है।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

1. प्रो. पी.सी.त्रिवेदी (कुलपति) अध्यक्ष
2. प्रो. संगीता लुकड - सदस्य सिंडिकेट
3. प्रो. आर.के. यादव सदस्य (Subscriber)
4. श्रीमती चंचल वर्मा कुलसचिव
5. श्री प्रफुल्ल मेहता सदस्य अशैक्षणिक
6. श्री नरेश गहलोत सदस्य अशैक्षणिक
7. श्री मंगलाराम बिश्नोई सदस्य वित्त नियंत्रक (Non Secretary)

- आइटम नं. 01 - दिनांक 12.12.2020 को आहुत की गयी पी.एफ. कमेटी के Minutes को पारित किया गया एवं Action Taken Report का भी अनुमोदन किया गया। PF Online Module को शीघ्र तैयार करने का निर्णय लिया गया।
- आइटम नं. 02 - पी.एफ. फंड की Surplus राशि लगभग 100.00 करोड़ में से रू. 95 करोड़ को पी.डी खाते में अधिक ब्याज के कारण विनियोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि Private Banks or JCCB Consider नहीं किया जाय।
- आइटम नं. 03 - 01.01.2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को ई.पी.एफ. में पात्रता देने के संबंध में यह निर्णय किया गया। प्रशासनिक आदेश जारी कर अनुमोदन आगामी सिंडिकेट में करने की कार्यवाही करावे। अतः ये प्रकरण आगामी सिंडिकेट की बैठक में रखा जायेगा।

आइटम नं. 04 –

EMMRC के कर्मचारियों को ई.पी.एफ. में पात्रता देने के संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय पारित हुआ कि EMMRC के कर्मचारी के लिए प्रस्ताव निदेशक BOM से प्रस्ताव प्राप्त होने की कार्यवाही की जावे। अतः ई.पी.एफ. में इनकी पात्रता का निर्धारण का प्रस्ताव निदेशक BOM द्वारा भेजा जाय।

आइटम नं. 05—

ई.पी.एफ. फण्ड से 20.00 करोड़ रु. प्रचलित दर से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज दर पर पेंशन फण्ड को आवश्यकता अनुसार उधार देने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।

आइटम नं. 06 –


Food Grains, Festival Loan and Tour Loan के संबंध में सर्वप्रथम यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में इस प्रकार के दिये गये लोन के संबंध में ओ.डी. लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी इस हेतु 3 लोगों की एक कमेटी बनाकर इसकी गहन जांच की जाय इस प्रकार के ऋण का Budgetary Provision किया जाय एवं इन तीनों प्रकार के ऋण को Merge कर एक किया जाय तब तक विकल्प के साथ में ई.पी.एफ. फण्ड से 2.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया जाय तथा 1 प्रतिशत अधिक दर पर प्रचलित दर से ऋण दिया जाय एवं ऋण से प्राप्त ब्याज की राशि को ई.पी.एफ. फण्ड में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय एवं इसे Reporting Item बनाकर आगामी सिंडिकेट की बैठक में रखा जाय।


आइटम नं. 07 –

पूर्व के वर्षों के ब्याज दर के निर्धारण के बारे में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु पी.एफ. कमेटी की मीटिंग पुनः आहुत की जाय।

आइटम नं. 08—

1. पी.डी. खाते में उपलब्ध 1 करोड़ की राशि में से 36 Teachers VIth Pay Commission के बिलों का भुगतान किया जाय।
2. पेंशन फण्ड यानि यू.पी.एफ. हेतु अलग से एक पी.डी. खाता खोला जाय।


मंगलाराम बिश्नोई
वित्त नियंत्रक


प्रो. पी.सी.त्रिवेदी
कुलपति